राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर के पशुआहार संयंत्रों के सरस पशुआहार के वितरकों हेतु आवेदन पत्र

क्र:आरसीडीएफ / एफ.6(1065) / विपणन / 2018 / दिनांक: 19.02.2018

जिला आगरा, मथुरा तथा अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) के जिला मुख्यालयों एवं शहरों/कस्बों में सरस पशुआहार के वितरकों की आवश्यकता

राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर के पशुआहार संयंत्रों द्वारा उत्पादित सरस पशुआहार के विपणन हेतु जिला आगरा, मथुरा तथा अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) **के जिला मुख्यालयों** एवं शहरों/**कस्बों** में आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं अनुभवी वितरकों की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध मे निर्धारित आवेदन प्रपत्र वेबसाईट **www.sarasmilkfed.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर इस कार्यालय से प्राप्त करके दिनांक 20.03.2018 तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(संदीप आहूजा)

महा प्रबन्धक(विपणन)

राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर के पशुआहार संयंत्रों के सरस पशुआहार के वितरकों हेतु आवेदन पत्र

क्रःआरसीडीएफ / एफ.6(1065) / विपणन / 2018 / दिनांकः 19.02.2018

जिला सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी व नारनोल (हरियाणा) तथा जिला भटिंडा, फाजिल्का, मुक्तसर व मानसा (पंजाब) के जिला मुख्यालयों एवं शहरों/कस्बों में सरस पशुआहार के वितरकों की आवश्यकता

राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर के पशुआहार संयत्रों द्वारा उत्पादित सरस पशुआहार के विपणन हेतु जिला सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी व नारनोल (हरियाणा) तथा जिला भटिंडा, फाजिल्का, मुक्तसर व मानसा (पंजाब) **के जिला मुख्यालयों एवं शहरों/कस्बों** में आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं अनुभवी वितरकों की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध मे निर्धारित आवेदन प्रपत्र वेबसाईट **www.sarasmilkfed.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर इस कार्यालय से प्राप्त करके दिनांक 20. 03.2018 तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(संदीप आहूजा)

महा प्रबन्धक(विपणन)

राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर के पशुआहार संयंत्रों के सरस पशुआहार के वितरकों हेतु आवेदन पत्र

आवेदन पत्र का प्रारूप

जिसके लिए आवेदन किया जाना है	आवेदन प्रस्तुत करने की	
	अंतिम तिथि	स्थान
जिला आगरा, मथुरा तथा अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) के जिला मुख्यालयों एवं शहरों/कस्बों में 'सरस' पशुआहार के वितरक (Dealership) के लिए आवेदन पत्र	20.03.2018 सायँ 6.00 बजे तक	विपणन अनुभाग, छठा तल, आरसीडीएफ, जयपुर।
जिला सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी व नारनोल (हरियाणा) के जिला मुख्यालयों एवं शहरों/कस्बों में 'सरस' पशुआहार के वितरक (Dealership) के लिए आवेदन पत्र		
जिला भटिंडा, फाजिल्का, मुक्तसर व मानसा (पंजाब) के जिला मुख्यालयों एवं शहरों/कस्बों में 'सरस' पशुआहार के वितरक (Dealership) के लिए आवेदन पत्र		

राजस्थान में आरसीडीएफ के स्थित पशुआहार संयत्र		
क्र.सं	पशुआहार संयत्र का नाम व पता	अन्य विवरण
1.	पशु आहार संयत्र, नदबई, जिला– भरतपुर	आवेदक इन पशुआहार संयत्रों में से किसी एक/दो संयत्र का विकल्प चयन कर सकता है। हालाँकि संयत्र आवंटन आरसीडीएफ के क्षेत्राधिकार में रहेगा।
2.	पशु आहार संयत्र, लालगढ़, जिला– बीकानेर	
3.	पशु आहार संयत्र, बासनी, जोधपुर, जिला–जोधपुर	
4.	पशु आहार संयत्र, तबीजी, जिला–अजमेर	
5.	पशु आहार संयत्र, गुन्दौज रोड़, पाली, जिला–पाली	
6.	पशु आहार संयत्र, लाम्बियाकलाँ, जिला– भीलवाड़ा	

आवेदक का नाम ....

....

राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर के पशुआहार संयंत्रों के सरस पशुआहार के वितरकों हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक की सूचनाएँ

आवेदक का नाम		पासपोर्ट साईज फोटो
पोस्टल पता (कोई भी पत्र/पत्राचार इस पते पर भेजा गया, तो उसे डिलवर्ड माना जायेगा, चाहे संबंधित को उसकी प्राप्ति हो या ना हो। अतः कृपया अपना पूर्ण व सही पता पोस्टल कोड सहित दर्ज करे ।) पते के प्रमाण में कोई दस्तावेज(मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, राशन कार्ड आदि) की प्रति संलग्न करें)		
मोबाईल नम्बर, फैक्स, ई–मेल (उक्त मोबाईल नम्बर पर हमारे द्वारा आपको एस.एम.एस. संदेश भी भेजा जा सकता है)	**मोबाईल नम्बरः–** **फैक्सः–** **ई–मेलः–**	
उस स्थान का नाम जिस हेतु आवेदन किया हैः ग्राम/शहर : तहसील : जिला :		
उस पशुआहार संयत्र का नाम जिसे आवेदक द्वारा पशुआहार की खरीद के लिए चयनित किया गया है।	1. 2.	
• आवेदन पत्र शुल्क रू. 500/– के आरसीडीएफ लिमिटेड, जयपुर के पक्ष मे जारी बैंक ड्राफ्ट का विवरण।	डीडी नम्बर... दिनॉक... राशि...	
• धरोहर राशि राशि रू. 10,000/– के आरसीडीएफ लिमिटेड, जयपुर के पक्ष मे जारी बैंक ड्राफ्ट का विवरण।	डीडी नम्बर... दिनॉक... राशि...	
मिल्कियत : पार्टनरशिप फर्म/प्रोपराईटरशीप/प्राईवेट लि. कम्पनी /कोपरेटिव/अन्य (फर्म का रजिस्ट्रार द्वारा फर्म का रजिस्ट्रेशन/अगर कम्पनी है तो रजिस्ट्रार की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति)		

राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर के पशुआहार संयंत्रों के सरस पशुआहार के वितरकों हेतु आवेदन पत्र

निम्न मे जो भी उपलब्ध हो उल्लेखित करे:

प्रोपराईटर /पार्टनर/निदेशक का नाम	
जी.एस.टी नम्बर : (यदि है, प्रति संलग्न करें)	
पैन नम्बर : (यदि है, प्रति संलग्न करें)	
फूड लाईसेन्स नम्बर : (यदि है, प्रति संलग्न करें)	
शॉप ऐसटेबलिसमेन्ट नम्बर :(यदि है, प्रति संलग्न करें)	
बैंक का नाम व पता	
वर्तमान टर्न ऑवर : (वित्तीय वर्ष 2016–17 का लाभ–हानि व व्यापार खाता की अंकेक्षित सत्यापित प्रति संलग्न करें)	
गोदाम/दुकान का स्थान का पता, जहॉ पशु आहार का बिक्री हेतु भण्डारण किया जावेगा।	
भण्डारण क्षमता (वर्ग फीट मे)	
वितरण हेतु वाहनो की संख्या	
कैटलफीड विक्रय मे अनुभव (वर्ष)	
पूर्व मे सरस केटलफीड का अनुभव(वर्ष)(यदि हो)	
अन्य अनुभव	

2. आवेदन प्रकिया

- सरस पशुआहार की डीलरशिप के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन का निर्धारित प्रारूप मय विस्तृत विवरण के आरसीडीएफ की वेबसाइट **www.sarasmilkfed.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता है अथवा आरसीडीएफ जयपुर के पक्ष में रू. 500/– का डी.डी. आरसीडीएफ में जमा कराकर व्यक्तिशः भी प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र डाउनलोड किये जाने की स्थिति में आवेदन प्रपत्र शुल्क रू. 500/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
- आवेदक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र मय अमानत राशि व आवेदन पत्र में उल्लेखित दस्तावेज संलग्न कर प्रथम पृष्ठ पर लिखे अनुसार आरसीडीएफ पर दिनांक 20.03.2018 को सायँ 06.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जा सकेगे।
- आवेदन के साथ निर्धारित आवेदन प्रपत्र शुल्क एवं अमानत राशि के डी.डी. संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

3. वितरकों की संख्या

किसी भी स्थान पर वितरकों की संख्या तय किया जाना पूर्णरूप से आरसीडीएफ के विवेकाधीन रहेगा। आरसीडीएफ किसी भी स्थान पर कितनी ही संख्या में वितरक नियुक्त कर सकेगी। इस संबंध में किसी भी आवेदक की कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

4. चयन प्रकिया

- वितरकों का चयन प्राप्त योग्य आवेदनों में से योग्यता के आधार पर किया जायेगा। इस संबंध में आरसीडीएफ द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा व आवेदकों को मान्य होगा।

5. अवधि

i. योग्य आवेदक को यदि स्थाई वितरक नियुक्त किया जाता है तो उनकी प्रथमतः वितरक अवधि 5 वर्ष तक होगी, जिसे अधिकतम 2 वर्ष तक बढाया जा सकता है।

ii. यदि किसी आवेदक को अस्थायी वितरक नियुक्त किया जाता है तो उनकी प्रथमतः वितरक अवधि एक वर्ष होगी जिसे वितरक की परफोरमेन्स के आधार पर एक–एक वर्ष हेतु बढाया जाता रहेगा।

6. चयन हेतु पात्रता एवं मापदण्ड

i) वे सभी आवेदक जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ है तथा जिनके पास पशुआहार भण्डारण की सुविधा उपलब्ध है, वितरक हेतु पात्र माने जायेगें। ऐसे सभी आवेदनों पर विचार किया जायेगा। पशुआहार विक्रय के अनुभव, टर्नओवर, भण्डारण स्थिति आदि को मध्यनजर रखते हुए प्राथमिकता दी जा सकेगी।

7. आवेदन प्रपत्र शुल्क :

रू. 500/– (नॉन रिफेण्डेबल)

निर्धारित आवेदन प्रपत्र शुल्क रू. 500/– आरसीडीएफ, जयपुर के पक्ष मे डी.डी. जमा करवाकर आरसीडीएफ से प्राप्त किया जा सकता है अथवा आवेदन प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड करने की स्थिति मे आवेदन पत्र के साथ रू.500/– का डी.डी. संलग्न की जानी आवश्यक होगी।

8. अमानत/धरोहर राशि : रू. 10000/–

आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ रू. 10000/– की डी.डी. अमानत राशि आरसीडीएफ, जयपुर के पक्ष मे जमा करानी होगी जो वितरक हेतु चयन होने पर धरोहर राशि मे तब्दील कर ली जावेगी अन्यथा अधिकतम चार माह में लौटा दी जायेगी। आवेदक द्वारा जमा करवाई गई अमानत राशि/धरोहर राशि पर आरसीडीएफ द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। सहकारी समितियों/सरकारी ऐजेसिंयो को धरोहार राशि जमा करवानी अनिवार्य नही होगी।

9. अन्य सामान्य शर्ते :

i) सफल आवेदको को आरसीडीएफ के साथ नॉन ज्यूडिशीयल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।

ii) आवेदनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा की उसके द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज सही है। नियुक्ति से पहले एवं पश्चात् कभी भी दी गई जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो आवेदन/डिस्ट्रीब्यूटरशीप निरस्त करने हेतु आरसीडीएफ स्वतंत्र होगा, जिस हेतु कोई मुआवजा नही दिया जावेगा और ना ही कोई अग्रिम जानकारी देना आवश्यक होगा।

iii) जांच समिति / चयन समिति की अनुशंसा पर प्रबन्ध संचालक आरसीडीएफ द्वारा किसी भी आवेदनकर्ता के आवेदन को चयन/निरस्त कर सकेंगे। आवेदनकर्ता को इस सम्बन्ध मे कोई भी आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार नही होगा।

iv) एक आवेदक केवल एक स्थान हेतु ही आवेदन कर सकता है।

v) किसी भी वितरक को अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशीप सबलेट करने का अधिकार नही होगा।

vi) वितरक को अपने गोदाम मे हमेशा पशुआहार के यथासंभव 25 बैग रखने आवश्यक होंगे। कभी भी निरिक्षण के समय इस से कम मात्रा मे पशुआहार पाया गया तो डिस्ट्रब्यूटरशीप समाप्त की जा सकती है।

vii) चयनित आवेदक द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में सब–डीलर नियुक्त किये जा सकेगें परन्तु :

- सब–डीलर के किसी भी उचित/अनुचित कृत्य से सीधे अथवा परोक्ष रूप से आरसीडीएफ/दुग्ध संघ/पशुआहार संयंत्र का कोई लेना–देना/जवाबदेही नही होगी।
- वितरक को यह भी सुनिश्चित करना होगा की सब–डीलर के किसी भी कार्य से आरसीडीएफ/दुग्ध संघ/पशुआहार संयंत्र के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडे।
- वितरक व सब–वितरक के मध्य किसी भी विवाद की स्थिति मे आरसीडीएफ/दुग्ध संघ/पशुआहार संयंत्र की काई भागीदारी नही होगी।

viii) आरसीडीएफ अपने दुग्ध संघो/पशुआहार संयंत्रो के माध्यम से वितरकों के कार्य का मूल्यांकन मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक आधार पर जरूरत के अनुसार किया जावेगा।

ix) कय–विकय सहकारी समिति/ग्राम सेवा समिति/अन्य किसी भी वितरक की नियुक्ति किसी भी क्षेत्र में आरसीडीएफ द्वारा पृथक से की जा सकती है। इसके लिये उस क्षेत्र मे कार्यरत वितरक की कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नही होगी।

x) चयन के तुरन्त पश्चात् आवेदनकर्ता को अन्य ब्राण्डों का पशुआहार की बिकी बन्द करनी होगी। अन्य ब्राण्डों के पशुआहार बिकी करते हुये पाये जाने पर डिस्ट्रीब्यूटरशीप निरस्त कर दी जायेगी।

xi) सरस पशुआहार, पशुआहार संयंत्रो द्वारा डीलर से अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर ही दिया जायेगा। भुगतान का माध्यम केशलेस ही होगा।

xii) वर्तमान व्यवस्था के तहत सरस पशुआहार, पशुआहार संयन्त्रो से वितरको हेतु लागू एक्स फेक्ट्री दर पर ही दिये जायेगे। पशुआहार संयन्त्रो से वितरक को पशुआहार अपने स्वयं के खर्चे पर ले जाना होगा।

xiii) आरसीडीएफ अथवा संबंधित जिला दुग्ध संघ अथवा पशुआहार संयंत्र के किसी भी विपणन अधिकारी द्वारा वितरक के गौदाम का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा।

xiv) आरसीडीएफ को वितरक के दैनिक सेल्स रिपोर्ट के निरीक्षण का अधिकार होगा।

xv) आरसीडीएफ द्वारा सरस पशुआहार विक्रय किये जाने के लिये लक्ष्यानुसार बिक्री को बढाने हेतु निर्देशित किया जा सकता है।

xvi) पशुआहार संयंत्र/आरसीडीएफ वितरक की मांग अनुसार पशुआहार दिये जाने हेतु बाध्य नही है। किसी कारणवश पशुआहार की कमी होने पर पशुआहार उपलब्धता के अनुसार ही दिया जावेगा। पशुआहार संयंत्र/आरसीडीएफ द्वारा वितरक को इस हेतु कोई हर्जाना इत्यादि देय नही होगा।

xvii) एक क्षेत्र हेतु एक ही संयंत्र के अधीन वितरक नियुक्त किये जायेगे व यथासंभव उन्हें उसी संयन्त्र से पशुआहार उपलब्ध कराया जायेगा।

xviii) भारत सरकार के केशलेश अभियान को बढावा देने हेतु यदि आरसीडीएफ कोई एप/नवीन तकनीक लागू करती है तो उसे सभी वितरकों को अपनाना अनिर्वाय होगा।

10. निरस्तीकरण :

i) अस्थायी निरस्तीकरण : किसी भी वितरक के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त होने पर आरसीडीएफ के विपणन विभाग द्वारा अस्थायी डिस्ट्रीब्यूटरशीप पर रोक लगाई जा सकती है जो अधिकतम 30 दिवस के लिये होंगी। इस अवधि के दौरान विपणन अनुभाग द्वारा शिकायत की पूर्ण जांच कर निष्कर्ष के आधार पर अस्थाई रोक को स्थाई निरस्तीकरण मे तब्दील किया जा सकता है। शिकायत निराधार पाये जाने पर डिस्ट्रीब्यूटरशीप पुनः बहाल कर दी जावेंगी। इस हेतु वितरक को पशुआहार संयंत्र/आरसीडीएफ द्वारा किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा देय नही होगा।

ii) उपरोक्त नियमों मे वर्णित बिन्दुओं के अतिरिक्त, स्थायी निरस्तीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है:

- अन्य ब्राण्ड के पशुआहार का विक्रय करने पर।
- आपराधिक केस मे सम्मलित पाये जाने पर।
- आरसीडीएफ/दुग्ध संघ/पशुआहार संयंत्रो कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों व सरस ब्राण्ड की छविं को नुकसान पहुॅचाने के प्रयास किये जाने पर।
- निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार पशुआहार बिक्री ना किये जाने पर।
- वैधानिक दस्तावेजों की पूर्ति नही की जाती हो।
- निर्धारित दरों से अधिक दर पर पशुआहार बिक्री किये जाने पर।
- यदि वितरक द्वारा आगे कार्य नही करने के सम्बन्ध मे आवेदन किया जाये।
- एक वित्तिय वर्ष के लगातार कोई दो माह अथवा किन्ही 4 माह मे एक बार भी पशुआहार नही उठाये जाने पर।

- आवंटित क्षेत्र से बाहर पशुआहार विक्रय किये जाने पर।
- दुग्ध संघ/आरसीडीएफ के निर्देशों की बार–बार अवहेलना करने पर।

11. हस्तान्तरण :

साधारणतः डिस्ट्रीब्यूटरशीप अहस्तान्तरणीय है लेकिन वितरक की मृत्यु होने पर ही कानूनी रूप से वारिस के नाम डिस्ट्रीब्यूटरशीप के स्वामित्व का हस्तान्तरण किया जावेगा।

12. पशुआहार बिक्री पर देय कमीशन :

आरसीडीएफ द्वारा वितरक को एक्स फेक्ट्री दर पर, पशुआहार संयंत्र से पशुआहार उपलब्ध कराया जायेगा। जिसे वितरक द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य पर विकय्र किया जा सकेगा। निर्धारित खुदरा मूल्य से अधिक दर पर सरस पशुआहार विक्रय किये जाने पर वितरक के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। तीन या इससे अधिक बार शिकायत प्राप्त होने पर जांच के उपरान्त डिस्ट्रीब्यूटरशीप समाप्त कर दी जावेंगी। यदि वितरक द्वारा अपने स्तर पर सब–डीलर नियुक्त किया जाता है तो उसका कमीशन वितरक को ही वहन करना होगा। आरसीडीएफ /पशुआहार संयंत्र द्वारा इस हेतु कोई पृथक से मार्जिन /व्यय देय नही होगा।

13. पशुआहार वितरक व आरसीडीएफ/पशुआहार संयंत्र/दुग्ध संघ के मध्य किसी विवाद की स्थिती मे प्रबन्ध संचालक, आरसीडीएफ स्वयं अथवा उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि आरबीट्रेटर होगा जिसका फेसला अंतिम व सभी पक्षो को मान्य होगा।

14. किसी भी विवाद के लिये न्याय क्षेत्र न्यायालय जयपुर होगा।